सं0सं0:–8 / विविध(भू–मापी)–11–05 / 2023– (8) / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक :–.....

विषय :– विभिन्न राजस्व अधिनियमों के आलोक में की जाने वाली भू–मापी कार्य एवं विहित प्रक्रिया अन्तर्गत समर्पित किए जाने वाले मापी प्रतिवेदन को तैयार करने में मानक संचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure) के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्तर पर प्राप्त होने वाले विभिन्न रैयतों / सरकारी कार्यों के अंतर्गत भू–मापी से संबंधित निष्पादित विभिन्न प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी है। उक्त समीक्षा से यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि राजस्व प्रशासन में मापी कार्य हेतु प्राधिकृत अमीन द्वारा मापी कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत समर्पित प्रतिवेदन में मानक मापदण्डों का अनुपालन नहीं किया जाता है एवं मापी प्रतिवेदन में विभिन्न आवश्यक तथ्यों का उल्लेख नहीं किए जाने के कारण भूमि विवाद के मामले उत्पन्न होते हैं अथवा रैयतों की समस्या का समुचित समाधान नहीं हो पाता है। अतएव समीक्षोपरान्त भू–मापी की प्रक्रिया हेतु निम्नांकित मानक संचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure) निर्धारित किया जाता है:–

1. <u>मापी प्रारंभ करने के पूर्व किये जाने वाले प्रारंभिक कार्य</u>:–
   (i) सर्वप्रथम सम्बन्धित भू–खण्ड, जिस राजस्व ग्राम में अवस्थित है एवं जिसकी मापी की जा रही है, उसका मानचित्र (सी0एस0,आर0एस0 एवं चकबन्दी) कार्यालय से प्राप्त किया जाय।
   (ii) मानचित्र का स्केल एवं मापी में उपयोग किये जाने वाले उपकरण का जाँच किया जाय।
   (iii) आदेश पत्र में वर्णित खेसरा का प्रचलित नक्शा से सीमांकन कराया जाय।
2. <u>मापी के दौरान अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विवरण</u>:–
   (i) फिल्ड बुक वह पुस्तिका होता है, जिसमें किसी अमीन द्वारा भूमि की मापी का सम्पूर्ण विवरण अंकित होता है।

(ii) भू–मापन की कार्रवाई में फिल्ड बुक का संधारण आवश्यक होता है, क्योंकि फिल्ड बुक की प्रविष्टि के आधार पर ही किसी भू–विशिष्ट भू–खण्ड या भू–खण्डों का मानचित्र तैयार किया जाना होता है।

(iii) नक्शा पर Forward Bearing 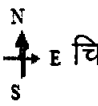

चिन्ह बना रहेगा।

(iv) सीमांकन के क्रम में मुस्तकिल कायम कर x,y,z से नामांकित करते हुए आवेदित खेसरा के सभी विमा या इकाई (S.I Unit) की नक्शा एवं स्थल की दूरी अंकित करते हुए फ़ील्ड बुक तैयार करना।

(v) मानचित्र की सहायता से फिल्ड बुक में स्थायी मुस्तकिल चिन्हित किया जाना।

(vi) मुस्तकिल के लिए महत्त्वपूर्ण स्थायी चिन्ह यथा–तिमेड़ा, चौमेड़ा, ग्राम–सीमा, धार्मिक स्थान, कुँआ चिन्हित किया जाना।

(vii) मुस्तकिल बिन्दु (Fixed Point) से कायम करके नीचे से ऊपर की ओर माप का अंकन किया जाना।

(viii) अमीन द्वारा भू–मापन के प्रक्रम में जैसे–जैसे आगे बढ़ते है, उसके अनुरूप फिल्ड बुक में किया जाने वाले अंकन भी नीचे से ऊपर की आगे बढ़ते हुए क्रम में चला जाता है।

(ix) फिल्ड बुक में अमीन द्वारा नीचे से ऊपर की ओर मापी की स्थिति लिखे जाने से किसी अनियमितता की संभावना नहीं होती है।

(x) फिल्ड बुक में अंकित स्थायी बिन्दु (मुस्तकिल) को X, Y, Z आदि से दर्शाया जाएगा।

(xi) भू–मापन के अन्तर्गत रेखाओं का खाका (Outline) किया जाना।

(xii) भू–मापन रेखाओं का अलग–अलग विवरण यथा–रेखा खाका को A, B आदि अंकित करेंगे। साथ ही रेखा खाका का माप फीट या मीटर में अंकित किया जाएगा।

3. <u>मापी उपरांत प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले प्रमुख बिन्दु</u> :–

(i) आवेदित खेसरा का प्रचलित नक्शा अनुसार रकबा सहित विमा या इकाई (S.I Unit) सहित नजरी नक्शा मापी प्रतिवेदन के साथ संलग्न करना।

(ii) प्रतिवेदन पर भू–मापन की तिथि एवं भू–मापन करने वाले अमीन का नाम एवं पदनाम सहित अंकित किया जाना।

(iii) प्रतिवेदन में भू–मापन रेखाओं का अलग–अलग विवरण यथा–रेखा खाका को A, B, C, D आदि अंकित करेंगे। साथ ही रेखा खाका का माप फीट या मीटर में अंकित किये जाएंगे।

(iv) फिल्ड बुक के अनुसार अमीन द्वारा जाँच प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।

(v) आवेदित खेसरा में आवेदक द्वारा हित अर्जित रकवा का विमा या इकाई (S.I Unit) सहित नजरी नक्शा मापी प्रतिवेदन के साथ संलग्न करना।

(vi) साथ ही आवेदित खेसरा के चारों तरफ के भूखंडों का ट्रेश नक्शा में हित अर्जित रकवा को विशेष रंग के स्याही से छायांकित करना।

4. **<u>भू–मापी का दर एवं समय–सीमा का निर्धारण</u>** :–

बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2023, जो विभागीय अधिसूचना सं0–209(8)/रा0 दिनांक–17.03.2023 द्वारा अधिसूचित है तथा बिहार गजट सं0–245 दिनांक–20 मार्च, 2023 में प्रकाशित है, के अन्तर्गत भू–मापी शुल्क एवं समय–सीमा का निर्धारण किया गया है। भू–मापी की कार्रवाई में उक्त नियमावली के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

अतः अनुरोध है कि राज्यान्तर्गत विभिन्न राजस्व अधिनियमों के आलोक में की जाने वाली भू–मापी कार्य में उपर्युक्त मानक संचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure) के अनुसार विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जिला अंतर्गत सभी संबंधित कार्यालयों को भूमि/भू–खंड मापी का कार्य संपादित करने का निदेश दिया जाए तथा इसका शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(जय सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : .....**पटना, दिनांक**.....

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जय सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 762 (8) **पटना, दिनांक** 13/12/23

प्रतिलिपिः–सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/12/23
(जय सिंह)
सरकार के सचिव।